दिनांक 30.01.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस का नशा तस्करी पर कड़ा प्रहार

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 502 ग्राम स्मैक (कीमत करीब 01 करोड़ 40 हजार रूपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – **"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा दिनांक 29/01/2026 को मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **साहिब पुत्र जुल्फिकार निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को गंगोह बाईपास रोड विद्यार्थी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त **साहिब** उपरोक्त के कब्जे से 502 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 62/26 धारा 8/21(सी)/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त साहिब उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

साहिब पुत्र जुल्फिकार नि0 ग्राम घाटमपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 502 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. हे0का0 12 अंकुश गोदरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
4. हे0का0 294 उदित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
5. का0 1131 सूरज शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 30.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट/छिनैती आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है, अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.01.2026 को थाना बेहट पुलिस द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त **चाँद पुत्र सल्लू नि0 मौ0 इन्द्रा कालोनी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को शाकुम्भरी रोड से साब्दीपुर जाने वाल् रास्ते पर बाग से 01 नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0-59/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

चाँद पुत्र सल्लू नि0 मौ0 इन्द्रा कालोनी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 57/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 582/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 90/24 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 412/24 धारा 4/25 आर्म्स थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 164/24 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
2. का0 1802 बिट्टू थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।
3. कां0 1823 श्रवण कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।

दिनांक- 30.01.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 13 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 2,60,000/- रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.01.2026 को गस्त/चैकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **गुफरान उर्फ सुस्सी पुत्र इरफान निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को दुमझेडा से ग्राम नल्हेडा को जाने वाले रास्ते पर आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 13 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 30/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

गुफरान उर्फ सुस्सी पुत्र इरफान निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 13 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0-225/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0-64/2023 धारा-8/21/29 एनडीपीएस एक्ट चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0-134/2023 धारा-2/3 गैगस्टर एक्ट चिलाकाना जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0स0-167/2023 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

5. मु0अ0सं0 30/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-</u>

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री रोहताश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

3. म0उ0नि0 माधुरी शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

4. है0का0 1052 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

5. है0का0 880 अंकित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 30.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.01.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त ***अवनीश पुत्र सोम्मा निवासी मौहल्ला काँजीमल थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद सं0-3215/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम चालानी थाना चिलकाना स0पुर न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर) को मौहल्ला काँजीमल से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अवनीश पुत्र सोम्मा निवासी मोहल्ला काँजीमल थाना चिलकाना जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. *उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*
2. *है0का0 116 महेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*

दिनांक: 30.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना बेहट पुलिस द्वारा कोडीनयुक्त कफ सिरप की बोतल फर्जी बिल बनाकर बेचने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

अवगत कराना है 02.12.2025 श्री राघवेन्द्र सिंह (औषधि निरीक्षक) जनपद सहारनपुर द्वारा थाना बेहट पर तहरीर एक लिखित तहरीर बावत अभियुक्त पंकज शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी ग्राम दाउदपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर के द्वारा औषधि कोडीनयुक्त कफ सिरप की कुल 15450 बोतल, माल वितरक कैडीज लाइफसाइंस, 39/2/6, साइट-4 इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद से नियमानुसार क्रय करने के पश्चात इसे बिना विक्रय बिल के अपने नाजायज लाभ के लिए औषधि अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करके उपर्युक्त औषधि को चिकित्सीय उपयोग से इतर अवैध तरीके से कूट रचित बिलों के आधार पर विक्रय करने तथा प्रार्थी लोक सेवक के अपेक्षा करने पर इस औषधि का क्रय-विक्रय बिल नहीं प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0-605/25 धारा 210/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

इसी क्रम में थाना बेहट पुलिस द्वारा **दिनांक 31.12.2025 को अभियुक्त पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया** तथा **विवेचना के आधार पर अभियुक्त पप्पू राम शर्मा उर्फ प्रदीप शर्मा पुत्र मायाराम शर्मा निवासी ग्राम मठियाना थाना चकराता जनपद देहरादून(उत्तराखण्ड) का नाम प्रकाश में आया** एवं मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस व 8(C)/21/26(d) एनडीपीएस एक्ट की वृद्धि की गयी।

पुलिस कार्यवाहीः -

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.01.2026 को थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाना बेहट पर पंजीकृत मु0अ0सं0-605/25 धारा 210/318(4)/338/336(3)/340(2) 61(2) व व 8(C)/21/26(d) एनडीपीएस एक्ट मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **पप्पू राम शर्मा उर्फ प्रदीप शर्मा पुत्र मायाराम शर्मा निवासी ग्राम मठियाना थाना चकराता जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड)** हाल निवासी किराये का मकान मालिक भीम सिंह नि0 डाक पत्थर विकास नगर देहरादून को डाक पत्थर बैराज स्टेडियम विकास नगर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पप्पू राम शर्मा उर्फ प्रदीप शर्मा पुत्र मायाराम शर्मा निवासी ग्राम मठियाना थाना चकराता जनपद देहरादून(उत्तराखण्ड)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. निरीक्षक श्री पंकज गौतम थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 अमित यादव थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।
3. है0कां0 1058 राहुल राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।

दिनांक: 30.01.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरूद्ध बड़ी कार्यवाह

थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ओवरलोड कोरसेन्ट से भरा, बिना प्रपत्र के 01 डम्पर सीज

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के *निर्देशन में अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ीकरण तथा अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है।*

जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष ***श्री प्रवेश कुमार*** *एवं* ***राजस्व टीम*** *के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.**01.2026** की रात्रि मे को चौकी शांहजहापुर में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चैकिंग के दौरान थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा* ***1 डम्पर*** *को चेक किया गया जो* ***ओवरलोड कोरसेन्ट से भरा, बिना किसी वैध प्रपत्र के परिवहन कर रहा था ।*** *उक्त वाहन को नियमानुसार* ***सीज*** *किया गया है। इस कार्यवाही का उद्देश्य जनपद सहारनपुर में अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं नियम विरुद्ध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है।*

विवरण –

- *डम्फर 18 टायरा रजि0नं0 HR 58C 3443*

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम –

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार शर्मा, थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर*
2. *संग्रह आमीन श्री उमेश कुमार जनपद सहारनपुर*
3. *संग्रह आमीन मौ0 जावेद जनपद सहारनपुर*
4. *पुलिस टीम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।*